न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 43/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/00045)

संजयकुमार पुत्र विनोदकुमार जाति ब्राह्मण निवासी रतनगढ, जिला चूरू राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री नरेन्द्र गौड़ – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 29.03.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 29.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार रतनगढ के समक्ष हल्का पटवारी लूछ ने दिनांक 19.10.2016 को अपीलान्ट के विरूद्व रिपोर्ट इस आश्य की पेश की कि खसरा नं. 329/223 तादादी 02 बीधा 04 विश्वा 09 विश्वासी को कृषि भूमि से गैर कृषि उपयोग में ले रहा है। जिस पर तहसीलदार रतनगढ ने धारा 90 क एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार रतनगढ ने अपने निर्णय दिनाक 19.01.2017 के द्वारा अपीलान्ट के मुनिम को नोटिस की तामिल करवाना मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा तौर पर कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लेना मानकर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया जावे का आदेश पारित किया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने प्रथम अपील जिला कलक्टर चूरू मे पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.05.2017 द्वारा तहसीलदार रतनगढ का आदेश दिनांक 19.01.2017 अपीलान्ट के

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हितो के विरूद्व कोई प्रतिकूल असर नही डाल रहा एवं न ही यह किसी आदेश परिभाषा में आता है का मानकर अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील भू-प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, चूरू में प्रस्तुत कर उक्त दोनो आदेशो को निरस्त कर अपील स्वीकर फरमायी जाने का निवेदन किया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण भू-प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, चूरू द्वारा यह अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई।

3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, अपीलान्ट के निमित नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर चूरू कानून के खिलाफ एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने के कारण एवं तहसीलदार रतनगढ द्वारा पारित आदेश एकतरफा तौर पर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। तहसीलदार रतनगढ द्वारा अपने ओडरशीट दिनांक 25.10.2016 में मुझ अप्रार्थी को नोटिस मुनीम को दिया जाना मानकर पुनः नोटिस जारी करने का आदेश दिया था, हालांकि मुझ प्रार्थी के कोई मुनीम नही है, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं। तहसीलदार रतनगढ द्वारा दिनांक 17.11.2016 को तामिल कुनिन्दा ने अप्रार्थी को बाहर जाना अंकित किया है, फिर दिनांक 28.11.2016 को नोटिस पुनः जारी करने का आदेश दिया। दिनांक 19.01.2017 को अपीलान्ट के मुनीम को नोटिस की तामिल करवाना मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही कर कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लेना मानकर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी महोदय को प्रेषित किया जावे का आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार रतनगढ के आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने जिला कलक्टर चूरू में अपील पेश उक्त आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया। जिला कलक्टर चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 29.05.2017 में यह लिखा कि तहसीलदार

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रतनगढ ने जो आदेश पारित किया है व अपीलान्ट के हितों के विरूद्व कोई प्रतिकुल असर नही डाल रहा है और ना ही यह किसी आदेश की परिभाषा में आता है। इसलिए इसके विरूद्व अपील दायर नही की जा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने स्वय स्वीकर किया है कि तहसीलदार रतनगढ ने जो आदेश पारित किया है वो किसी आदेश की परिभाषा में नही आता है। फिर भी तहसीलदार के आदेश को निरस्त नही किया। यदि तहसीलदार रतनगढ द्वारा पारित आदेश किसी कानूनी आदेश की परिभाषा में नही आता है तो मुझ अपीलान्ट के खिलाफ जो धारा 177 की कार्यवाही पेश की गई है उसको समाप्त करने का भी आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित करना चाहिए था लेकिन ऐसा आदेश पारित नही किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर जिला कलक्टर चूरू का निर्णय दिनांक 29.05.2017 एवं तहसीलदार रतनगढ का आदेश दिनाक 19.01.2017 निरस्त किया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रतनगढ के द्वारा ग्राम देराजसर के खं. नं. 329 की खातेदारी भूमि में बिना रूपान्तरण करवाये व्यवसायिक उपयोग करने के आधार पर धारा 90 क राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अपने निर्णय दिनांक 19.01.2017 को धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के आदेश के साथ उक्त कार्यवाही को समाप्त किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी हल्का के बयान मौका रिपोर्ट एव अपीलार्थी के सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, प्रथम अपील में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यो पर गौर नही किया गया है। लिहाजा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

चूरू के निर्णय दिनांक 29.05.2017 तथा तहसीलदार रतनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार रतनगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, मौका निरीक्षण कर पुनः निर्णय पारित करे।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर